प्रयास किए गए थे, लेकिन आज आजादी के 62 वर्ष बाद भी देश में स्वच्छकार समाज एक ऐसा समाज है, जो भेदभाव का शिकार है और समाज की सबसे निचली श्रेणी में गिना जाता है। सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही खराब है। सफाई के कार्य को सबसे घृणित कार्य माना जाता है और पूरे देश में बाल्मीकि समुदाय (स्वच्छकार) के लोग ही इस पेशे में लगे हुए हैं। अतः इस कार्य को तकनीकी वर्ग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए इन लोगों को समुचित सुविधाएं जैसे वर्दी, दस्ताने, मास्क, लम्बे बूट और दवाइयां आदि नहीं दी जाती हैं, जिसके कारण ये लोग अस्थमा, तपेदिक एवं त्वचा की भयंकर बीमारियों की चपेट में आकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से सीवर एवं नालों की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण अक्सर इन कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए नगरपालिकाओं, निगमों, ठेकेदारों के द्वारा उनके आश्रितों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है और न ही उनके लिए जीवन बीमा की कोई अतिरिक्त योजना है। इस संबंध में सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों हेतु जीवन बीमा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया था, जो कई वर्षों से संसद में लम्बित पड़ा हुआ है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि सफाई कार्य को तकनीकी श्रेणी में रखने, सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिवार को कम से कम दस लाख रुपए का मुआवजा देने एवं इनके कल्याण हेतु लम्बित बीमा योजना वि◌ेधेयक को आगामी संसद सत्र में पारित कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE BUDGET (RAILWAYS), 2009-2010

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2009-10 in respect of Railways.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 3315/09]

PRIVATE MEMBERS' BILLS

The Children Social Security Bill, 2008

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for social security to the families living below poverty line in the country whose children upto the age of fourteen years have been prohibited under the law to undertake any kind of employment by extending financial assistance and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2008 (Amendment of Article 148)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.